



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20062024-254821
CG-DL-E-20062024-254821

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 312]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 19, 2024/ज्येष्ठ 29, 1946

No. 312]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 19, 2024/JYAISHTHA 29, 1946

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2024

सा.का.नि. 335(अ).—केन्द्रीय सरकार, का यह मत होने पर कि विमान परिचालनों की सुरक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का XXII) की धारा 9क और धारा 14 के परन्तुक के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के उपखण्ड (ण) एवं (द)में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नागर विमानन मंत्रालय (विमान प्रचालनों के रक्षोपाय के लिए ऊंचाई प्रतिबंध) नियमावली, 2015 में आगे निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का नाम नागर विमानन मंत्रालय (विमान प्रचालनों की सुरक्षा के लिए ऊंचाई प्रतिबंध) संशोधन नियम, 2024 है।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नागर विमानन (विमान प्रचालनों की सुरक्षा के लिए ऊंचाई प्रतिबंध) नियम, 2015 (इसके पश्चात उपर्युक्त नियम के रूप में संदर्भित), में -

(i) अनुसूची III में, शीर्षक "भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और संयुक्त उपक्रम कंपनियों द्वारा प्रचालित हवाईअड्डे" के अन्तर्गत, -

(क) क्रम सं. 104 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“

105	डोनी पोलो हवाईअड्डा, ईटानगर	अरुणाचल प्रदेश	26° 58' 11.032" एन 93° 38' 36.121" ई	107	08/26	2800 x 45	भाविप्रा
106	मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, मोपा	गोवा	15° 44' 32.996" एन 73° 52' 01.237" ई	171.8	10L/28आर 10R/28एल	3500x45, 2842x45	जीएमआर गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड (जीजीआईएएल)
107	कुशीनगर	उत्तर प्रदेश	26° 46' 22.000" एन 83° 53' 43.000" ई	80.1	11/29	3200 x 45	भाविप्रा
108	कलबुर्गी	कर्नाटक	17° 18' 35.430" एन 76° 57' 25.590" ई	477.6	09/27	3175 x 45	भाविप्रा
109	मुरादाबाद	उत्तर प्रदेश	28° 49' 10.22" एन 78° 55' 28.42" ई	193.7	12/30	3195 X 45	भाविप्रा
110	रीवा	मध्य प्रदेश	24° 30' 13.486" एन 81° 13' 23.303" ई	325.3	07/25	1800 X 30	भाविप्रा
111	अयोध्या	उत्तर प्रदेश	26° 45' 13.99 एन 082° 09' 01.02 ई	100.4	11/29	3750X45	भाविप्रा
112	राजकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा,	गुजरात	22° 23' 17.77 एन 071° 2'	198.2	05/23	3040X45	भाविप्रा

	हीरासर		46.04 ई				
--	--------	--	---------	--	--	--	--

(ख) क्रम सं. 101 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

101	लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, वाराणसी	उत्तर प्रदेश	25° 27' 04.360" एन 82° 51' 30.980" ई	82.4	09/27	4450 X 45	भाविप्रा
-----	---	--------------	---	------	-------	-----------	----------

(ग) क्रम सं. 43 और इससे संबंधित प्रविष्टियों का विलोपन किया जाएगा;

(घ) क्रम सं. 78 और इससे संबंधित प्रविष्टियों का विलोपन किया जाएगा;

(ड.) क्रम सं. 84 और इससे संबंधित प्रविष्टियों का विलोपन किया जाएगा;

(ii) उपर्युक्त नियमों में, अनुसूची IV, भाग 1 में, शीर्षक "राज्य सरकारों और निजी मालिकों द्वारा प्रचालित विमानक्षेत्र (सार्वजनिक/निजी उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति दिए गये हवाईअड्डे और नियोजित आरसीएस हवाईअड्डे)" के तहत, क्रम सं. 2,4,12,18,40 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए,

(क) निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

2	अलीगढ	उत्तर प्रदेश	27° 51' 40.68" एन 78° 08' 49.46" ई	183.5	11/29	3415 X 45	एस.जी..
4	आजमगढ	उत्तर प्रदेश	26° 09' 26.27" एन 83° 06' 50.44" ई	79.4	14/32	3500 X 45	एस.जी.
12	चित्रकूट	उत्तर प्रदेश	25° 09' 29.00" एन 80° 55' 27.00" ई	299.6	06/24	3415 X 45	एस.जी.
18	हिसार	हरियाणा	29° 11' 25.066"एन 075° 43' 45.261"ई	212.9	12/30	3000 X 45	एस.जी.
40	श्रावस्ती	उत्तर प्रदेश	27° 30' 05.62" एन 82° 01' 49.35" ई	111.6	12/30	3330 X 45	एस.जी.

(ख) क्रम सं. 44 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

45	अंगुल	ओडिशा	20° 54' 43.030" एन 85° 01' 57.350" ई	189.9	11/29	1510x30	जिंदल स्टील एंड पॉवर
----	-------	-------	---	-------	-------	---------	----------------------

46	कुर्नूल	आंध्र प्रदेश	15° 42' 53.120" एन 78° 09' 46.750" ई	344.1	10/28	3100X45	आंध्र प्रदेश विमानपत्तन विकास निगम लिमिटेड
47	सिंधुदुर्ग	महाराष्ट्र	16° 00' 12.170" एन 73° 31' 57.900" ई	74	09/27	3450X45	आईआरबी सिंधुदुर्ग विमानपत्तन प्रा. लि.

(ग) क्रम सं. 16 और इससे संबंधित प्रविष्टियों का विलोपन किया जाएगा ;

(घ) क्रम सं. 27 और इससे संबंधित प्रविष्टियों का विलोपन किया जाएगा;

(iii) उपर्युक्त नियमों में, अनुसूची IV, भाग 2, शीर्षक "राज्य सरकारों और निजी मालिकों द्वारा प्रचालित विमानक्षेत्र(डीजीसीए द्वारा अनुज्ञप्ति न दिए गये विमानक्षेत्र)",-

(क) क्रम सं. 81 और इससे संबंधित प्रविष्टियों का विलोपन किया जाएगा ;

(ख) क्रम सं. 101 और इससे संबंधित प्रविष्टियों का विलोपन किया जाएगा;

(iv) उपर्युक्त नियमों में, अनुसूची V में, शीर्षक "रक्षा एयरोड्रोम" के तहत, क्रम सं. 58 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“

58	एनडीए	महाराष्ट्र	18° 28' 20" एन 73° 46' 45" ई	586.893m	09/27	1500X30	एनडीए
----	-------	------------	---------------------------------	----------	-------	---------	-------

(v) उपर्युक्त नियमों में, अनुसूची VII में, शीर्षक "भारत सरकार द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान किये गए ग्रीनफील्ड" के तहत,-

(a) क्रम सं. 6 और इससे संबंधित प्रविष्टियों का विलोपन किया जाएगा;

(b) क्रम सं. 8 और इससे संबंधित प्रविष्टियों का विलोपन किया जाएगा;

(c) क्रम सं. 9 और इससे संबंधित प्रविष्टियों का विलोपन किया जाएगा ;

(d) क्रम सं. 11 और इससे संबंधित प्रविष्टियों का विलोपन किया जाएगा ;

(e) क्रम सं. 12 और इससे संबंधित प्रविष्टियों का विलोपन किया जाएगा ;

(f) क्रम सं. 16 और इससे संबंधित प्रविष्टियों का विलोपन किया जाएगा ;

(g) क्रम सं. 17 और इससे संबंधित प्रविष्टियों का विलोपन किया जाएगा ;

[एफ सं. एवी-24011/28/2017-एएआई-एमओसीए]

रबीना अली, संयुक्त सचिव

टिप्पणी—30 सितंबर, 2015 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 751 (अ) के माध्यम से मूल नियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3. उपखण्ड (i) दिनांकित 01 अक्टूबर, 2015 में प्रकाशित किया गया था और इन्हें 05 दिसंबर, 2023 की अधिसूचना सा.का.नि. 877 (अ) के माध्यम से अंतिम बार संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2024

G.S.R. 335(E). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (o) and (r) of sub-section (2) of section 5, read with section 9A and proviso to section 14 of the Aircraft Act, 1934 (XXII of 1934), the Central Government, being of opinion that it is necessary or expedient so to do for the safety of aircraft operations, hereby makes the following further amendments in the Ministry of Civil Aviation (Height Restrictions for Safeguarding of Aircraft Operations) Rules, 2015, namely:-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Civil Aviation (Height Restrictions for Safeguarding of Aircraft Operations) Amendment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Civil Aviation (Height Restrictions for Safeguarding of Aircraft Operations) Rules, 2015 (hereinafter referred to as said rules),-

(a) In Schedule III, under the heading “**AERODROMES OPERATED BY AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA AND JOINT VENTURE COMPANIES**”, -

(a) after Serial No. 104 and the entries relating thereto, the following Serial Nos. and entries shall be inserted, namely:-

“

105	Donyi Polo Airport, Itanagar	Arunachal Pradesh	26° 58' 11.032" N 93° 38' 36.121" E	107	08/26	2800 x 45	AAI
106	Manohar International Airport, Mopa	Goa	15° 44' 32.996" N 73° 52' 01.237" E	171.8	10L/28R 10R/28L	3500x45, 2842x45	GMR Goa International Airport Limited (GGIAL)
107	Kushinagar	Uttar Pradesh	26° 46' 22.000" N 83° 53' 43.000" E	80.1	11/29	3200 x 45	AAI
108	Kalaburagi	Karnataka	17° 18' 35.430" N 76° 57' 25.590" E	477.6	09/27	3175 x 45	AAI
109	Moradabad	UP	28° 49' 10.22" N 78° 55' 28.42" E	193.7	12/30	3195 X 45	AAI
110	Rewa	Madhya Pradesh	24° 30' 13.486" N 81° 13' 23.303" E	325.3	07/25	1800 X 30	AAI
111	Ayodhya	UP	26° 45' 13.99 N 082° 09' 01.02 E	100.4	11/29	3750X45	AAI
112	Rajkot International Airport, Hirasar	Gujarat	22° 23' 17.77 N 071° 2' 46.04 E	198.2	05/23	3040X45	AAI

”

(b) for Serial No. 101 and entries relating thereto, the following Serial No. and entries shall be substituted, namely:-

“

101	Lal Bahadur Shastri International Airport, Varanasi	UP	25° 27' 04.360" N 82° 51' 30.980" E	82.4	09/27	4450 X 45	AAI
-----	---	----	--	------	-------	-----------	-----

- (c) Serial No. 43 and entries relating thereto shall be omitted;
 (d) Serial No. 78 and entries relating thereto shall be omitted;
 (e) Serial No. 84 and entries relating thereto shall be omitted;

(ii) In the said rules, in Schedule IV, Part 1, under the heading “**AERODROMES OPERATED BY THE STATE GOVERNMENTS AND PRIVATE OWNERS (AERODROMES LICENSED FOR PUBLIC/PRIVATE USE AND PLANNED RCS AIRPORTS)**”, for serial no. 2, 4, 12, 18, 40 and the entries relating thereto,

(a) the following serial no. and entries shall be substituted, namely:-

2	Aligarh	UP	27° 51' 40.68" N 78° 08' 49.46" E	183.5	11/29	3415 X 45	S.G.
4	Azamgarh	UP	26° 09' 26.27" N 83° 06' 50.44" E	79.4	14/32	3500 X 45	S.G.
12	Chitrakoot	UP	25° 09' 29.00" N 80° 55' 27.00" E	299.6	06/24	3415 X 45	S.G.
18	Hisar	Haryana	29° 11' 25.066"N 075° 43' 45.261"E	212.9	12/30	3000 X 45	S.G.
40	Shravasti	UP	27° 30' 05.62" N 82° 01' 49.35" E	111.6	12/30	3330 X 45	S.G.

(b) after Serial No. 44 and the entries relating thereto, the following Serial No. and entries shall be inserted, namely:-

45	Angul	Odisha	20° 54' 43.030" N 85° 01' 57.350" E	189.9	11/29	1510x30	Jindal Steel and Power
46	Kurnool	Andhra Pradesh	15° 42' 53.120" N 78° 09' 46.750" E	344.1	10/28	3100X45	Andhra Pradesh Airports Development Corporation Limited
47	Sindhudurg	Maharashtra	16° 00' 12.170" N 73° 31' 57.900" E	74	09/27	3450X45	IRB Sindhudurg Airport Pvt. Ltd

- (c) Serial No. 16 and entries relating thereto shall be omitted;
 (d) Serial No. 27 and entries relating thereto shall be omitted;

(iii) In the said rules, in Schedule IV, Part 2, under the heading “**AERODROMES OPERATED BY THE STATE GOVERNMENTS AND PRIVATE OWNERS (AERODROMES NOT LICENSED BY DGCA)**”,-

- (a) Serial No. 81 and entries relating thereto shall be omitted;
 (b) Serial No. 101 and entries relating thereto shall be omitted;

(iv) In the said rules, in Schedule V, under the heading “**DEFENCE AERODROME**”, for Serial No. 58 and entries relating thereto, the following Serial No. and entries shall be substituted, namely:-

58	NDA	MAHARASHTRA	18° 28' 20" N 73° 46' 45" E	586.893m	09/27	1500X30	NDA
----	-----	-------------	--------------------------------	----------	-------	---------	-----

(v) In the said rules, in Schedule VII, under the heading “**GREEN FIELD AIRPORT FOR WHICH GOVERNMENT OF INDIA HAS GIVEN 'IN-PRINCIPLE' APPROVAL**”,-

- (a) Serial No. 6 and entries relating thereto shall be omitted;
- (b) Serial No. 8 and entries relating thereto shall be omitted;
- (c) Serial No. 9 and entries relating thereto shall be omitted;
- (d) Serial No. 11 and entries relating thereto shall be omitted;
- (e) Serial No. 12 and entries relating thereto shall be omitted;
- (f) Serial No. 16 and entries relating thereto shall be omitted;
- (g) Serial No. 17 and entries relating thereto shall be omitted;

[F. No. AV-24011/28/2017-AAI-MOCA]

RUBINA ALI, Jt. Secy.

Note.-The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3. Sub-section (i) dated the 1st day of October, 2015, *vide* notification number G.S.R.751(E), dated the 30th day of September, 2015 and was last amended *vide* notification GSR 877(E), dated the 5th day of December, 2023.